



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 15, गुरुवार, शके 1941-मार्च 05, 2020
Phalguna 15, Thursday, Saka 1941-March 05, 2020

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 17, 2019

संख्या प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/38119 :-आयुक्त नगर निगम जयपुर की अभिशंषा पर राज्य सरकार राजधान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि-2012 के क्लॉज 16 (घ) में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान करती है:-

“वर्ष 2019-20 तक का समस्त पूर्ण बकाया, एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि दिनांक 31.03.2020 तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं 100 रुपये प्रतिदिन का विलम्ब शुल्क एवं ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। इस अवधि के पश्चात् से समस्त शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क नगर निगम जयपुर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि-2012 के अनुरूप देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उज्ज्वल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

3106

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।